भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3653

10 दिसंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि उद्यमी प्रकोष्ठ

3653. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

श्री सुधीर गुप्ता :

श्री गजानन कीर्तिकर :

श्री बिद्युत बरन महतो :

श्री प्रतापराव जाधव :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कृषि उद्यमी प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि स्टार्टअप शुरू करने संबंधी नवोन्मेषी कार्य हेतु प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इंक्यूवेटर सुविधाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निधि की 20 प्रतिशत राशि आरक्षित करने का भी निर्णय लिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश में कृषि स्टार्टअपों को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा कृषि उत्पादन संगठन को प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.) : इस मंत्रालय ने स्कीम के 8 प्रतिशत वार्षिक परिव्यय के साथ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने सहित इनक्यूबेशन पारिस्थितिकीय व्यवस्था को पोषित करके नवाचार और कृषि उद्यम को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई-रफ्तार) के तहत ''नवाचार और कृषि उद्यमी विकास'' नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है।

इन नवाचारी कार्यों में वे प्रौद्योगिकीय समाधान/प्रक्रियाएं/उत्पाद/सेवाएं/व्यापारिक मंच शामिल हो सकते हैं जिनके जरिए कृषि और संबंधित कार्यकलापों में उत्पादकता अथवा कौशल में वृद्धि की जा सकती है।

इस संबंध में इस कार्यक्रम के जरिए कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देकर सुदृढ़ करने के लिए पांच ज्ञान भागीदारों (केपी) और 24 कृषि व्यापार इनक्यूबेटरों (आर-एबीआई) को विनिर्दिष्ट किया गया है। विनिर्दिष्ट केपी और आर-एबीआई की सूची अनुबंध पर प्रस्तुत है।

इस कार्यक्रम का अनुवीक्षण करने के लिए केपी और आरएबीआई इस मंत्रालय के नोडल प्रभाग को लेखापरीक्षित खातों सहित समेकित वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वे नियमित आधार पर अपनी वैबसाईट पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति स्थिति का भी विवरण अपलोड करेंगे।

(च) : सरकार एक राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) स्कीम चला रही है जिसके तहत प्रतिस्पर्धी आनलाइन बोली व्यवस्था के जरिए किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए कृषि और बागवानी जिंसों के ऑनलाईन व्यापार को संचालित किया जाता है। अब तक ई-नाम मंच के साथ 838 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) जुड़ चुके हैं।

*****

अनुबंध

ज्ञान-भागीदारों (केपी) और आरकेवीवाई-रफ्तार कृषि व्यापार इन्क्यूबेटरों (आर-एबीआई) की सूची

ज्ञान भागीदार (केपी):

1) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद।
2) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एमआईएएम) जयपुर।
3) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) पूसा, नई दिल्ली।
4) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक।
5) असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम।

आरकेवीवाई-रफ्तार कृषि व्यापार इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई)

1) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा
2) सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश
3) आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
4) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश
5) आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश
6) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब
7) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़
8) शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू
9) आईआईएम, काशीपुर, उत्तराखंड
10) केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल
11) आईसीएआर-भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना
12) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएमएयू), कोयम्बटूर, तमिलनाडु
13) कृषि नवाचार और उद्यमी प्रकोष्ठ, एएनजीआरएयू, आंध्रप्रदेश
14) राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, ओडिशा
15) एस के एन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, राजस्थान
16) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, पश्चिम बंगाल
17) बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार
18) आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात
19) आईसीएआर-केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र
20) डॉ पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, महाराष्ट्र
21) राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी और रोग सूचना विज्ञान संस्थान (एमआईवीईडीआई), बेंगलुरु, कर्नाटक
22) कॉलेज ऑफ फिशरीज, लेम्बुचेर्रा, त्रिपुरा
23) पशु चिकित्सा विज्ञान विभाग पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन विभाग कालिज, आइजोल, मिज़ोरम
24) बागवानी और वानिकी कालिज, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश

*****